

(विक्रय-पत्र)

3602

विक्रीत क्षेत्रफल- 1.018 है० का 3/5 भाग, कुल भाग
किरम जमीन- सिंचित
दर- 25,00,000/-प्रति एकड़

बैनामा प्रतिफल = 30,00,000/-
सरकारी मूल्य भूमि + बोरिंग + पेड = योग
37,74,000 + 8000 + 16,000 = 37,98,000/-
दस्तावेज का सिलसिला नं०.....

यह लेखपत्र आज दिनांक 08.04.2013 ई० को संलग्न स्टाम्प में अंकित विवरणानुसार कुल देय रू-
1,90,000/- के कुल स्टाम्प- 11 पन्नों पर बिक्रीत सम्पत्ति के सरकारी मूल्य कुल रू0 - 37,98,000/-
पर अदा करते हुए श्री शशी कुमार वर्मा पुत्र श्री रघुवीर सरन व श्रीमती सुनीता वर्मा पत्नी
श्री शशी कुमार वर्मा जाति- सोनार, पेशा- व्यापार/गृहणी, निवासीगुण मौ०-
विजयनगर कस्बा धनौरा, तहसील व परगना धनौरा जनपद अमरोहा (उ० प्र०).....

विक्रेता/प्रथम पक्ष

नें रूपये- 30,00,000/- रू० (तीस लाख रूपये)

की जिसके आधे रूपये - 15,00,000/-रू० (पन्द्रह लाख रूपये)

होते हैं, प्रतिफल के बदले में श्री अमर सिंह मैमोरियल एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी,
शेरपुर रोड धनौरा, अमरोहा द्वारा बाहैसियत प्रबन्धक श्रीमती अनीता पत्नी श्री अशोक
कुमार जाति- सैनी निवासी मौ०- चामुण्डा, शेरपुर रोड धनौरा, तहसील व परगना
धनौरा जनपद अमरोहा (उ० प्र०).....

केता/द्वितीय पक्ष



के हक में ग्राम- शहबाजपुर गूजर, तहसील धनौरा जिला अमरोहा स्थित सम्पत्ति जिसका पूर्ण विवरण
संलग्न स्टाम्प में दिया गया है सम्बन्ध में निष्पादित किया।

आ कि (विक्रेता) प्रथम पक्ष निम्नलिखित सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी है, और वह उस पर काबिज है। यह सम्पत्ति हर प्रकार
के जमाने वार विवाद एवं कानून आदि से मुक्त है, तथा इसको विक्रय करने का (विक्रेता) प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार प्राप्त है
अतः (विक्रेता) प्रथम पक्ष को अपनी स्वेच्छा से प्रसन्नता से स्वस्थ मस्तिष्क की दशा में खूब सोच समझकर अपनी आवश्यकता हेतु
एवम् वर्तमान मूल्य पर इस सम्पत्ति को इससे सम्बन्धित समस्त स्वत्व अधिकारों एवम् हितों सहित बिना कोई विषय पर सुरक्षित
रखें, संलग्न स्टाम्प पर अंकित प्रतिफल के बदले में (केता) द्वितीय पक्ष को विक्रय कर दिया। अब इस सम्पत्ति से (विक्रेता)
प्रथम पक्ष अथवा उसके किसी उत्तराधिकारियों का कोई वास्ता ताल्लुक किसी प्रकार का नहीं रहा है और न भविष्य में होगा।
विक्रीत सम्पत्ति से प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने अपना स्वामित्व व अधिपत्य हटाकर द्वितीय पक्ष केता का स्वामित्व व अधिपत्य करा दिया
है। इस प्रकार बदल कब्जा अमल में आया अब यदि (विक्रेता) प्रथम पक्ष के स्वत्व, अधिकार के अभाव या त्रुटि के कारण या
किसी भागीदार के उत्पन्न होने या अन्य किसी कारण से विक्रीत सम्पत्ति का कुल या उसका अंश (केता) द्वितीय पक्ष के अधिकार
से निश्चित जावे या उस पर (केता) द्वितीय पक्ष को अधिकार न मिले या किसी भाग्य जिसका स्पष्ट उल्लेख (विक्रेता) प्रथम पक्ष न
किया हो (केता) द्वितीय पक्ष को चुकता करना पड़े, ऐसी समस्त दशाओं में (केता) द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि कब्जा रवयं
या अदालत द्वारा ले लेवे और अपनी हानि तथा व्यय भार सब मय हर्जो खर्चा अदालत, (विक्रेता) प्रथम पक्ष व उसके
उत्तराधिकारियों की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले (विक्रेता) प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को
कोई आपत्ति न होगी।

प्रथम पक्ष

शशी कुमार वर्मा

सुनीता वर्मा



शशी कुमार वर्मा

सुनीता वर्मा

द्वितीय पक्ष

मित्त



सत्यापित प्रति

पदमे वाला

मिलीन कती

उप निबन्धक धनौरा

Handwritten signatures and stamps at the bottom right, including a circular stamp and a signature.

(विक्रय-पत्र)

237

कुल 1.018 है० में से 0.265 है०
जमीन- सिंचित कृषि भूमि,
66,00,000/-प्रति है०

बैनामा प्रतिफल = 8,00,000/-
सरकारी मूल्य भूमि = 17,49,000/-

13550

रू० 58 के कम सं० 363 वी.-कोड- 1295 के अनुसार

दस्तावेज का सिलसिला नं०.....

यह पत्र आज दिनांक 27.08.2014 ई० को संलग्न परिशिष्ट में अंकित विवरणानुसार कुल देय रू०-
10,500/- के कुल स्टाम्प- 20 पन्नों पर विक्रीत सम्पत्ति के सरकारी मूल्य कुल रू०- 17,49,000/-
में अदा करते हुए श्री चमन सिंह पुत्र स्व० अमर सिंह जाति- सैनी, पेशा- खेती,
निवासी मौ०- चामुण्डा, शेरपुर चुंगी कस्बा धनौरा, तहसील व परगना धनौरा जनपद
अमरोहा (उ०प्र०).....

विक्रेता/प्रथम पक्ष

रुपये- 8,00,000/- रू०
जिसके आधे रूपये- 4,00,000/- रू०

अर्थात् है, प्रतिफल के बदले में अमर सिंह मैमारियल एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी शेरपुर
रुड धनौरा, जिला अमरोहा द्वारा बाहैसियत प्रबन्धक श्रीमती अनीता पत्नी श्री
श्रीक कुमार जाति- सैनी, निवासी मौ०- चामुण्डा, शेरपुर रोड धनौरा, तहसील
धनौरा जिला अमरोहा (उ०प्र०).....

क्रेता/द्वितीय पक्ष

यह क्रेता ग्राम- शहबाजपुर गूजर, तहसील धनौरा जिला अमरोहा स्थित सम्पत्ति जिसका
विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है सम्बन्ध में निष्पादित किया ।

जो कि (विक्रेता) प्रथम पक्ष निम्नलिखित सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी है, और वह उस पर काबिज है। यह सम्पत्ति हर
कारण के ऋण-भार विवाद एवं बन्धन आदि से मुक्त है, तथा इसको विक्रय करने का (विक्रेता) प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार
है अतः (विक्रेता) प्रथम पक्ष को अपनी स्वेच्छा से प्रसन्नता से स्वस्थ मस्तिष्क की दशा में खूब सोच समझकर अपनी
स्वच्छता एवं वर्तमान मूल्य पर इस सम्पत्ति को इससे सम्बन्धित समस्त स्वत्व अधिकारों एवं हितों सहित बिना कोई
शर्त पर सुरक्षित रखें, संलग्न स्टाम्प पर अंकित प्रतिफल के बदले में (क्रेता) द्वितीय पक्ष को विक्रय कर दिया । अब इस
सम्पत्ति से (विक्रेता) प्रथम पक्ष अथवा उसके किसी उत्तराधिकारियों का कोई वास्ता ताल्लुक किसी प्रकार का नहीं रहा है
और न भविष्य में होगा। विक्रीत सम्पत्ति से प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपना स्वामित्व व अधिपत्य हटाकर द्वितीय पक्ष क्रेता का
स्वत्व व अधिपत्य करा दिया है। इस प्रकार बदल कब्जा अमल में आया अब यदि (विक्रेता) प्रथम पक्ष के स्वत्व, अधिकार
व सम्पत्ति का हानि के कारण या किसी शागीदार के उत्पन्न हों या अन्य किसी कारण से बिक्रीत सम्पत्ति का कुल या उसका
अंश (क्रेता) द्वितीय पक्ष के अधिकार से निकल जावे या उस पर (क्रेता) द्वितीय पक्ष को अधिकार न मिले या किसी भार,
जिसका रकम उल्लेख (विक्रेता) प्रथम पक्ष न किया हो (क्रेता) द्वितीय पक्ष को चुकता करना पड़े, ऐसी समस्त दशाओं में
(क्रेता) द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या अदालत द्वारा ले लेवे और अपनी हानि तथा व्यय भार सब मय
इसके अदालत, (विक्रेता) प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले ।
(विक्रेता) प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति न होगी ।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

चमन सिंह

Amita



पढ़ने वाला
सुनने वाला

सत्यापित प्रति

पढ़ने वाला

मिलान कर्ता

उप निबन्धक धनौरा

सं० २०

(विक्रय-पत्र)

14637

13

विहीत क्षेत्रफल 1.018 है० में से 0.142 है० बाकदार भाग में नमा प्रतिफल = 8,00,000/-
दिल जमीन- सिंचित कृषि भूमि, सरकारी मूल्य भूमि = 9,38,000/-
दर- 66,00,000/-प्रति है०
दृष्ट सं० 58 के क्रम सं० 363 वी.-कोड- 1295 के अनुसार

दस्तावेज का सिलसिला नं०.....

जिह लेखपत्र आज दिनांक 09.09.2014 ई० को संलग्न परिशिष्ट में अंकित विवरणानुसार कुल देय रू०-
47,000/- के कुल स्टाम्प- 11 पन्नों पर विक्रीत सम्पत्ति के सरकारी मूल्य कुल रू०- 9,38,000/-
पर अदा करते हुए श्री चमन सिंह पुत्र स्व० अमर सिंह पत्नी- सैनी, पेशा- व्यापार,
निवासी गौ०- चामुण्डा, शेरपुर चुंगी कस्बा धनौरा, तहसील व परगना धनौरा जनपद
अमरोहा (उ०प्र०).....

विक्रेता/प्रथम पक्ष

में रूपये- 8,00,000/- रू०

की जिसके आधे रूपये- 4,00,000/- रू०

होते हैं, प्रतिफल के बदले में अमर सिंह मैगोरियल एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी शेरपुर
रोड धनौरा, जिला अमरोहा द्वारा बाहसियत प्रबन्धक श्रीमती अनीता पत्नी श्री
अशोक कुमार जाति- सैनी, निवासी गौ०- चामुण्डा, शेरपुर रोड धनौरा, तहसील
धनौरा जिला अमरोहा (उ०प्र०).....

क्रेता/द्वितीय पक्ष

के हक में ग्राम- शहबाजपुर गूजर, तहसील धनौरा जिला अमरोहा स्थित सम्पत्ति जितका
पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है सम्बन्ध में निष्पादित किया गया.....

जो कि (विक्रेता) प्रथम पक्ष निम्नलिखित सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी है, और उस पर काबिज है। यह सम्पत्ति हर
प्रकार के ऋण-भार विवाद एवं बन्धन आदि से मुक्त है, तथा इसको विक्रय करने का (विक्रेता) प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार
प्राप्त है अतः (विक्रेता) प्रथम पक्ष को अपनी रवेच्छा से प्रारम्भता से स्वस्थ गरिष्ठक की दशा में खूब सोच समझाकर अपनी
आवश्यकता हेतु एवम् वर्तमान मूल्य पर इस सम्पत्ति को इससे सम्बन्धित समस्त स्वतन्त्र अधिकारों एवम् हितों सहित बिना कोई
विषय पर सुरक्षित रखें, संलग्न स्टाम्प पर अंकित प्रतिफल के बदले में (क्रेता) द्वितीय पक्ष को विक्रय कर दिया। अब इस
सम्पत्ति से (विक्रेता) प्रथम पक्ष अथवा उसके किसी उत्तराधिकारियों का कोई दावता ताल्लुक किसी प्रकार का नहीं रहा है
और न भविष्य में होगा। विक्रीत सम्पत्ति से प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपना स्वामित्व व अधिपत्य हटाकर द्वितीय पक्ष क्रेता का
स्वामित्व व अधिपत्य करा दिया है। इस प्रकार बदल कब्जा अमल में आया अब यदि (क्रेता) प्रथम पक्ष के स्वत्व, अधिकार
के अभाव या त्रुटि के कारण या किसी भागीदार के उत्पन्न होने या अन्य किसी कारण से विक्रीत सम्पत्ति का कुल या उसका
अंश (क्रेता) द्वितीय पक्ष के अधिकार से निकल जावे या उत्त पर (क्रेता) द्वितीय पक्ष को अधिकार न मिले या किसी मार,
जिसका स्पष्ट उल्लेख (विक्रेता) प्रथम पक्ष न किया हो (क्रेता) द्वितीय पक्ष को चुकाना करना पड़े, ऐसी समस्त दशाओं में
(क्रेता) द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या न्यायालय द्वारा ले लेवे और अपनी हानि तथा व्यय गार राब गय
हर्जा खर्चा अदालत, (विक्रेता) प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों की जात व जायदोस्तों से जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले।
(विक्रेता) प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति न होगी।

प्रथम पक्ष

चमन सिंह



चमन सिंह

16/09/2014

द्वितीय पक्ष

Printed



Printed

पढ़ने वाला

सुनने वाला

सद